## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
### पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 28 / 2021
दायर दिनांक : 25 / 08 / 2021
निर्णय दिनांक : 04 / 11 / 2025

उनवान

1 शंकरलाल पिता जसराज जाट निवासी राजपुरा तहसील रेलमगरा

**प्रार्थी**

**बनाम**

1 किशना पिता गंगाराम गाडरी निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
2 धन्ना पिता गंगाराम गाडरी निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
3 मिठूलाल पिता खेमराज फोत के बजाय :–
  1. गणपत पिता मिठूलाल महाजन निवासी लुणेरा
  2. बसन्ती बाई पत्नि मिठूलाल महाजन निवासी लुणेरा
  3. मंजु पुत्री मिठूलाल महाजन निवासी लुणेरा
4 हेमराज पिता जीतू जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
5 रामचंद्र पिता हरिराम फोत के बजाय
  1. अंबालाल पिता रामचंद्र जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
  2. मादुलाल पिता रामचंद्र जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
  3. बद्रीलाल पिता रामचंद्र जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
  4. मोहन लाल पिता रामचंद्र फोत के बजाय
    1. रंगलाल पिता मोहनलाल जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
    2. लोकेष पिता मोहनलाल जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
    3. कमला बेवा मोहनलाल जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
6 लेहरी लाल पिता मादु जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
7 बद्रीलाल पिता मादु जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
8 संपत पिता मादु जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
9 राधी पत्नि मादु जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
10 छगनलाल पिता मोहनालाल जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
11 किषनलाल पिता हजारी जाट निवासी लुणेरा तहसील भूपालसागर
12 पंजाब नेषनल बैंक भूपालसागर
13 उपपंजीयक भूपालसागर
14 तहसीलदार भूपालसागर
15 पटवारी उसरोल

**अप्रार्थीगण**

**राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955**

**उपस्थिति** : 1. श्री देवीलाल जाट , अधिवक्ता प्रार्थी

### : : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि प्रार्थी ने उक्त अनवान का वाद पत्र न्यायालय में पेष किया है जो ठोस तथ्यों पर आधारित होने से अवष्य ही डिकी होगा मगर कुलिया सुनवाई होकर निस्तारण में काफी समय लगेगा। इस कारण यह प्रार्थना पत्र न्यायालय [illegible] हल्का लुणेरा तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में स्थित खाता संख्या 468 / 2 ख रक[illegible]5 [illegible]ा, साबिक आ.न. 470 / 2 रकबा 3 बिघा 15 बिस्वा, साबिक आ0न0 471 / 2 ख रकबा 85 बिघा [illegible] बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 89 बिघा 15 बिस्वा को दिनांक 08.08.1978 को संपूर्ण रकबा [illegible] एवज रूप्ये 15,000 15,000 में प्रत्येक ने चांद कवर पत्नि जगतसिंह राजपूत निवासी उदयपुर से 1 / 4 हिस्सा वादी [illegible]लाल पिता जसराज, 1 / 4 हिस्सा गंगाराम पिता कुषाल गाडरी व मिठू[illegible]ल पिता खेमराज महा[illegible] / 4 हिस्सा हेमराज पिता जीतु जाट व रामचंद्र पिता हरिराम जाट 1 / 4 हिस्सा लालूराम पिता देवजी व मादु

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.12 11:58:28 IST
Reason: SelfAttested

पिता भैरा जाट सभी ने मिलकर कय किया। जो कि इंतकाल संख्या 315 316 317 दिनांक 08.12. 1979 व 338 दिनांक 05.09.1980 से दर्ज राजस्व रिकार्ड हुई थी। सबूत के लिए नकल साबिक जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेष है। जिसके सेटलमेंट के बाद हाल आ0न0 बने जो निम्न प्रकार सूचीबद्ध है:— साबिक आ0न0 468/2 ख रकबा 5 बिस्वा के पाल हाल आ0न0 एवं 470/2 3 बिघा 15 बिस्वा के नए हाल 408 आ0न0 0.68 है0, आ0न0 429 रकबा 0.40 है0, 471/2 ख आ0न0 85 बिघा 12 बिस्वा 409 आ0न0 0.50 है0, 410 आ0न0 0.68 है0, 416 आ0न0 0.13 है0, 417 आ0न0 1. 58 है0, 418 आ0न0 1.22 है0,
419 आ0न0 0.67 है0, 420 आ0न0 1.55 है0, 421 आ0न0 1.60 है0, 422 आ0न0 1.65 है0,
423 आ0न0 1.80 है0, 424 आ0न0 1.88 है0, 425 आ0न0 0.19 है0, 426 आ0न0 0.29 है0,
427 आ0न0 0.68 है0, 428 आ0न0 0.58 है0, 435 आ0न0 0.97 है0, 436 आ0न0 0.76 है0,
439 आ0न0 0.80 है0, 440 आ0न0 0.50 है0, 2211/411 आ0न0 0.13 है0, 2224/463 आ0न0 0. 12 है0, 2225/462 आ0न0 0.05 है0, आराजियात पर वादी अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काष्त कर रहा है हाल जमाबंदी व नकले साथ पेष है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से लगातार 11 तक के पिता व पितामह के द्वारा खरीदी हुई आराजियात के सेटलमेंट के बाद नए नंबर बने व उसी दौरान सभी खातेदारों के बीच आपसी सहमति से बंटवारा हुआ बटवार अनुसार सभी खातेदारों के बीच आपसी सहमति से बटवारा हुआ बटवारा अनुसार अलग अलग जमाबंदिया बनी अन्य सह खातेदारों के अलग अलग जमाबंदिया जारी की लेकिन प्रार्थी की आराजियात में सभी अन्य सह खातेदारों का नाम जमाबंदी में राजस्व कर्मचारियों की गलती से दर्ज हो गए। प्रार्थी के हिस्से में खाता संख्या 67 हाल आराजी संख्या 408 416 429 कुल किता 3 रकबा 1.21 है0 तथा खाता संख्या 68 हाल आ0न0 435 436 439 440 2211/411 2224/463 2225/462 कुल किता 7 रकबा 3. 33 है0 जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काष्त कर रहा है लेंकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थी के हिस्से में आई उक्त आराजियात के खातो में पुन सह खातेदारों व उनके वारिसानों के नाम दर्ज कर दिए जाने से गलत है। जबकि उक्त वारिसानों को कॉलम संख्या 2 की साबिक आराजी नं0 से बने नए नंबरों में से ही बंटवारा अनुसार अलग अलग आराजियात का खातेदार/काष्तकार बना कर जमाबंदी जारी की गई है। वादी अपने हिस्से में आई आराजियात का तन्हा खातेदार है। पैरा 3 में वर्णित प्रार्थी के हक हिस्से की आराजियात में अप्रार्थी संख्या 1 से 11 का नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती से हाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से अप्रार्थीगण प्रार्थी को कब्जे से बेदखल करने एवं कब्जे में दखलदांजी करनेकी कोषिष करते है और राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थीगण का नाम होने से प्रार्थी के साथ आए दिन प्रार्थी लडाई झगडा करते है इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 से 11 तक को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवष्यक है तथा अप्रार्थीगण संख्या 12 पंजाब नेषनल बैंक किसी तरह का लोन स्वीकृत नही कर रहन दर्ज नही करे तथा अप्रार्थी संख्या 13 श्रीमान उप पंजीयन पैरा 2 में वर्णित आराजियात के संबंधित किसी भी तरह के दस्तावेज का पंजीयन नही करे व 14 15 वाद ताफैसला तक हाल राजस्व रेकार्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही करे। इस आषय की अस्थाई निषेधाज्ञा पक्ष प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी फरमाई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 से 12 बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से कार्यवाही एकतरफा की गई। पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार, भूपालसागर उपस्थित। पैरोकार सरकार ने वादवर्णित तथ्यों से राजपक्ष प्रभावित नहीं होना अवगत कराया।

वकील प्रार्थी एवं उपस्थित पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई, हमने पत्रावली का अवलोकन किया, प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी सम्पूर्ण तथ्यों, बहस के आधार पर एवं प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित नहीं कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाने से अस्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 04.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.12 11:58:28 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गागोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर